न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

प्रकरण संख्या 14/2019

सरकार जरिये पटवारी हल्का

बनाम

.......मीरा देवी....... W/पुत्र महेन्द्र कुमार.......

जाति .....बिश्नोई..... साकिन .....अनूपगढ़..... निर्णय दिनांक .....22-4-19.....

इस प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :–

पटवारी हल्का .....90 GB..... ने इस न्यायालय मं आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक .....88 GB..... के मु. नं. 304/434..... के कि. नं. ..... के कुल .....0.38 है0..... रकबा राज पर मीरा देवी..... पुत्र W/o महेन्द्र कुमार..... जाति .....बिश्नोई..... साकिन .....अनूपगढ़..... ने फसल रबी/खरीफ में जिन्स रकबा पर .....रबी 2019..... काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है।

पटवारी के आवेदन को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी प्रारूप में नोटिस जारी किया गया। नोटिस में विनिर्दिष्ट भूमि का अंकन कर अप्रार्थी से यह आपेक्षा की गई थी, कि वह निर्धारित तिथि तक इस भूमि से अपना अधिभोग हटा लें, अन्यथा उपस्थित आकर ऐसा न करने का कारण बतावें। नोटिस अप्रार्थी पर विहित रिति से तामिल हुआ।

नोटिस के प्रत्युतर में, प्रार्थी दिनांक 22.4.19..... को उपस्थित आया। उसने लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रशनगत भूमि रकबा राज हैं। अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया है जिसके आधार पर उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा विधिपूर्ण साबित हो। अतः अप्रार्थी .....मीरा देवी..... पुत्री W/o .....महेन्द्र कुमार..... को चक ~~[illegible]~~ 88 GB के मु.नं. .....304/434..... के .....0.38 है0..... रकबा राज को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अधियोग में लेने के कारण अतिधारी किया जाता है। इस अतिधार के लिये उस पर भू–राजस्व का .....10..... गुणा रूपये 3 रुपये..... अखरे रूप्ये तीन ~~[illegible]~~ रुपये..... मात्र की शास्ती आरोपित किया जाता हैं भू. अभि. निरीक्षक को पूर्व में उक्त रकबे पर काश्त फसल को कुर्क करंने के अन्तरिम आदेश दिये गये थे, उसकी पुष्टि कि जाती है। भू. अभि. निरीक्षक को आदेश जारी हो कि कुर्क फसल सरेआम निलाम कर, बाद अनुमोदन राशि राजकोष में जमा करावें।

पटवारी हल्का को आदेश जारी हो कि शास्ती की मांग ढ़ालबाछ में कायम, वसूली करें तथा अप्रार्थी को उक्त रकबा राज से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेवे। T.R.A. के 'घ' रजिस्टर में मांग कायम करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब व तफसील दाखिल दफ्तर हो।

(निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।)